



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26082022-238404
CG-DL-E-26082022-238404

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 412]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 25, 2022/भाद्र 3, 1944

No. 412]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 25, 2022/BHADRA 3, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2022

सं. बीईई/एस एंड एल/डीटी/01/22-23.—ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो), ट्रान्स केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (2) के खण्ड (ज) के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (2) के खण्ड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियमन 2009 में संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है, प्रस्तावित मसौदा संशोधन एतद्वारा इससे संभावित रूप से प्रभावित सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए जाते हैं जैसा कि कथित अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा यथा: अपेक्षित प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर भारत के राजपत्र, असाधारण में उनके प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, रामकृष्ण पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 को प्रेषित किए जा सकते हैं और ब्यूरो के ई-मेल dg-bee@nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं;

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपरोक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पहले उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 है।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा :- (1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से तात्पर्य ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) है;

(ख) "डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के खंड (बी) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट एक उपकरण है;

(ग) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन विनियमों के साथ संलग्न प्रपत्र है;

(घ) "लेबल" से तात्पर्य डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर चिपकाई गई अथवा प्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री है;

(ङ.) "लेबल की अवधि" का अर्थ है सापेक्ष ऊर्जा दक्षताओं की वैधता अवधि या हानि के मानक जो धारा 14 के खंड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लोडिंग पर अधिसूचित डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत कुल नुकसान है और यदि सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि मानकों की वैधता अवधि की समाप्ति अवधि अधिसूचित नहीं की गई है, इसे तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते हैं;

(च) "अनुज्ञाधारक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या ऐसी एजेंसी से है जिसे विनियम 7 के तहत लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;

(छ) "स्टार रेटिंग या स्टार लेबल" का अर्थ है अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर ऊर्जा दक्षता का ग्रेड जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत लोडिंग के आधार पर सापेक्ष ऊर्जा दक्षता या हानि का मानक प्रदर्शित किया जाता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 50 प्रतिशत और 100 प्रतिशत लोडिंग पर होने वाला कुल नुकसान है;

(ज) लेबल लगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के संबंध में "व्यापारी अथवा विक्रेता" से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बिक्री अथवा डिस्ट्रीब्यूशन करता है और इसमें ऐसे दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्राप्त अनुज्ञाधारक शामिल हैं।

(i) "अनुसूची" का अर्थ इन विनियमों से जुड़ी अनुसूची है;

(2) यहां इसमें प्रयुक्त जो शब्द और अभिव्यक्तियां अपरिभाषित हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, उनका अधिनियम में उन्हें क्रमशः दिया गया आशय ही होगा।

3. लेबल पर प्रदर्शित किए जाने वाला विवरण- (1) प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, नामतः:-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;

(ख) उपकरण;

(ग) प्रकार;

(घ) मेक / निर्माता / आयातक;

(ङ) मॉडल / निर्माण वर्ष;

(च) केवीए में ट्रांसफार्मर क्षमता;

(छ) केवी में वोल्टेज;

(ज) वॉट में 50 प्रतिशत लोडिंग पर कुल नुकसान;

(झ) वॉट में 100 प्रतिशत लोडिंग पर कुल नुकसान;

(ञ) विशेष श्रृंखला कोड;

(ट) स्टार स्तर;

(ठ) लेबल की अवधि;

(2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में यथा: विनिर्दिष्ट होगा।

4. लेबलों के प्रदर्शन के लिए समय-सीमा- (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विवरण वाला लेबल इन विनियमन के लागू होने की तारीख से छह माह की अवधि के अंदर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों के आरंभ होने पर और आरंभ होने से, प्रत्येक अनुज्ञाधारक या व्यापारी या विक्रेता सुनिश्चित करेगा कि-

(क) पिछले ऊर्जा खपत मानकों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उत्पादन नहीं करेगा;

- (ख) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर ऊर्जा खपत मानक के साथ स्टार स्तर और लेबल अवधि और ऊर्जा खपत मानकों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के निर्माण वर्ष को प्रदर्शित करेगा;
- (ग) डीलरों, खुदरा व्यापारियों को जानकारी देने के लिए उनको शिक्षित करने के साथ ही उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपेक्षित प्रचार-प्रसार सहित सभी प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं और तीन महीने पहले कार्रवाई की जाएगी।

5. लेबल प्रदर्शित करने की विधि-

(1) प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर, लेबल पर निम्नानुसार मुहर लगाई जाएगी, अर्थात्:-

- (i) लेबल को इकाई के सामने के डिस्प्ले पर चिपकाया जाएगा और यह विनियम 3 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट अनुसार आसानी से दिखाई देना चाहिए और अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि लेबल प्रत्येक पंजीकृत इकाई या मॉडल पर पहचान के उद्देश्य से, बिक्री या किराए की जगह पर प्रदर्शित होता है और लेबल को इकाई या मॉडल आवरण के बाहरी वाले हिस्से में मुद्रित किया या चिपकाया जाएगा।
- (ii) डिस्प्ले न करने वाली इकाइयों के लिए, लेबल मुद्रित किया जा सकता है या इसे बाहरी आवरण पर चिपकाया जा सकता है और जब इकाई या मॉडल को उसकी पैकेजिंग से बाहर निकाल लिया जाता है तो यह लेबल इकाई या मॉडल से जुड़ा हो सकता है या लेबल को ग्राहक या प्रयोक्ता को दिए गए दस्तावेज़ीकरण के एक भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है।

6. लेबल प्रदर्शित करने की अनुज्ञा-(1) ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर कोई स्टार नहीं चिपकाया जाएगा।

(2) कंपनी पंजीकरण - ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को एक लाख रुपए के लेबल प्रतिभूति शुल्क के साथ, अलग से पंजीकृत किया जाएगा जैसा कि प्रपत्र I - (क) में निर्दिष्ट किया गया है, भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है :

वशर्ते कि लघु उद्योग के मामले में, लेबल प्रतिभूति शुल्क केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।

(3) मॉडल पंजीकरण- उप-विनियम (2) के तहत अनुज्ञापी के प्रत्येक आवेदन के साथ-

(क) भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन शुल्क; तथा

(ख) प्रपत्र-1 - (ख) में यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज

7. अनुज्ञा प्रदान करना - (1) विनियम 6 के तहत कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इससे संतुष्ट होने पर कि इसमें दी गई सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो मानक और लेबलिंग पर इस मैनुअल में निर्दिष्ट के रूप में अवधि के अंदर, विनियम 8 में यथा: विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन के लिए अनुज्ञा प्रदान कर सकता है।

(क) प्रपत्र II-(क) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड पंजीकृत करना; तथा

(ख) प्रपत्र II-(ख) में इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर लेबल लगाने की अनुमति देना।

(2) ब्यूरो द्वारा प्रपत्र-III में रजिस्टर का अनुरक्षण किया जाएगा और इसमें अनुज्ञाधारक का नाम प्रविष्ट किया जाएगा;

(3) उप-विनियम (1) के तहत इस प्रकार प्रदत्त अनुज्ञा उस अवधि तक मान्य होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खण्ड (क) के तहत यथा: अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा स्टार स्तर के लिए विनिर्दिष्ट की गई है;

(4) अनुज्ञाधारक द्वारा स्टार रेटिंग योजना के संशोधन के मामले में, अनुमति के नवीनीकरण का आवेदन इसकी समाप्ति से एक महीने बाद नहीं किया जाएगा और इसके साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में देय एक हजार रुपए का शुल्क होगा।

स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, उक्त नवीनीकरण के एक हजार रुपए के शुल्क से छूट दी जाएगी।

(5) वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और अनुज्ञापी को नया आवेदन पत्र देना होगा;

(6) उप- विनियम (4) के तहत नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र मिलने पर और सभी अपेक्षाएं पूरी होने के संबंध में संतुष्ट होने पर, ब्यूरो उक्त आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर प्रपत्र-II में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है;

(7) जो अनुज्ञाधारक उस तारीख से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की अनुज्ञा की मांग करता है, जिस तारीख से संशोधित स्टार स्तर लागू हुआ है, केवल प्रपत्र IV में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(8) यदि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के नए मॉडल की योजना संशोधित स्टार स्तर के साथ ताल-मेल बिठाकर शुरू करने की योजना है तो अनुज्ञाधारक को नया लेबल चिपकाने की अनुज्ञा लेना और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन संशोधित स्टार स्तर के लागू होने से छह माह पूर्व किया जाए;

8. लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने के लिए नियम और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञाधारक और व्यापारी एवं विक्रेता लेबल पर विवरण प्रदर्शित करने में निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का पालन करेगा, नामतः-

- (क) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होंगे;
- (ख) यह लेबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के ऐसे मॉडलों पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा ली गई है;
- (ग) लेबल को अनुज्ञाधारक की लागत पर मुद्रित और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बना रहेगा;
- (ङ) अनुज्ञाधारक विनियम 9 में यथा: विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञाधारक ब्यूरो को विवरण मुहैया कराएगा जिसमें लेबल लगे उपकरणों को बनाने का ब्यौरा और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में निम्नलिखित माह के अंदर प्रत्येक तिमाही के लिए देय प्रोद्भूत लेबलिंग शुल्क का विवरण हो;
- (छ) अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को अपने लेबल लगे उत्पादों की बिक्री के लिए नियुक्त प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को अधिकृत वितरकों, डीजलों और थोक विक्रेताओं एवं विक्रेताओं की सूची मुहैया कराएगा;
- (ज) अनुज्ञाधारक, व्यापारी और विक्रेता ऐसे अन्य नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे जो ब्यूरो द्वारा, मानक और लेबलिंग के संबंध में ब्यूरो की नियम पुस्तिका में निहित नियमों एवं शर्तों सहित विनिर्दिष्ट किए गए हों;

9. लेबल शुल्क- (1) प्रत्येक अनुज्ञाधारक, ब्यूरो को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर प्रत्येक चिपकाए गए लेबल के लिए सौ रुपये के शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के तहत विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक माह के अंदर वार्षिक तौर पर किया जाएगा;

बशर्ते कि यथा विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान न करने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप-विनियम (3) के खण्ड (ख) के तहत प्रतिभूति जमानत राशि से इस पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत की दर से इस पर ब्याज का भुगतान करेगा और यदि इसे जमा किए जाने की अंतिम तारीख से एक माह के अंदर पूरा लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं किया जाता, ब्यूरो अनुज्ञाधारक को प्रदत्त सभी अनुज्ञा प्रदान कर सकता है और अनुज्ञाधारक का नाम चूककर्ता के रूप में समाचार पत्र में प्रकाशित कर सकता है।

10. लेबल प्रतिभूति शुल्क का प्रत्यर्पण :- विनियम 9 के उप-विनियम (2) के प्रावधान के अधीन, अनुज्ञाधारक को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति शुल्क के प्रत्यर्पण का अधिकार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो अथवा इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी, स्वयमेव अथवा इसे शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इसके लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर और अन्य विवरण के अनुरूप है और कि यह अनुज्ञा के अन्य नियमों एवं शर्तों के अनुपालन में है।

(2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो अथवा विनिर्माता सुविधा से इसकी नामोद्दिष्ट एजेंसी, द्वारा जैसे यह उचित समझे, भण्डारगृह अथवा फुटकर विक्रय केन्द्र से यादृच्छिक तौर नमूने एकत्र करेगा; और (क) वाइंडिंग प्रतिरोध परीक्षण का मापन (ख) प्रतिबाधा वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट प्रतिबाधा और लोड हानि का मापन (ग) नो-लोड हानि और वर्तमान परीक्षण का मापन (घ) तापमान वृद्धि परीक्षण और (ङ.) शॉर्ट सर्किट परीक्षण।

(3) जहां उप- विनियम (1) के तहत शिकायत प्राप्त होने पर, ब्यूरो द्वारा जांच और अंशांकन प्रयोगशालाओं हेतु राष्ट्रीय परीक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की जांच को चुनौती देकर सत्यापन करना अपेक्षित है, अनुज्ञाधारक को ऐसे परीक्षण के निष्पादन के लिए प्रपत्र 5 में नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो के पास नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन संबंधी खर्च और अन्य आकस्मिक व्यय, ऐसी समयावधि में जमा कराने की मांग करेगा जो ब्यूरो द्वारा विनिर्धारित की गई हो और यदि जांच परीक्षण के तहत लिए गए नमूने विफल रहते हैं, ब्यूरो को नमूने लेने, नमूने के परिवहन और जांच प्रभागों की लागत के लिए सभी व्यय की प्रतिपूर्ति अनुज्ञाधारक द्वारा वहन की जाएगी और ब्यूरो उल्लिखित व्यय की प्रतिपूर्ति शिकायतकर्ता को करेगा और जहां उपकरण चुनौती परीक्षण पर खरे उतरते हैं, तब शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए व्यय जब्त कर लिए जाएंगे;

(4) जहां जांच के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के नमूने स्वयमेव परीक्षण अथवा चुनौती परीक्षण के दौरान परीक्षण में विफल रहते हैं, अनुज्ञाधारक को एक अन्य अवसर दिया जाएगा और ब्यूरो, अनुज्ञाधारक की लागत पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा विधिवत प्रत्यायित स्वतंत्र प्रयोगशाला में प्रथम जांच में प्रयुक्त डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के दो गुने परिमाण में दूसरा परीक्षण करेगा। ब्यूरो उप-विनियम (3) में संदर्भित चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में संदर्भित दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्चों को देखने के लिए प्रपत्र 5 में अनुज्ञाधारक को सूचित करेगा।

(5) जहां, दूसरा परीक्षण विफल होता है, ब्यूरो,-

- (क) प्रपत्र VI, में अनुज्ञाधारक को सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को निदेश देगा कि अनुज्ञाधारक दो माह की अवधि के अंदर,
 - i. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर सही स्टार स्तर प्रदर्शित करेगा अथवा परीक्षण के दौरान त्रुटियों और खामियों को दूर करेगा;
 - ii. ब्यूरो के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक को वापस लेगा; और
 - iii. विज्ञापित सामग्री पर प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन करेगा।

(ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के अंदर अनुज्ञाधारक का नाम, ब्राण्ड का नाम, मॉडल का नाम अथवा मॉडल संख्या, प्रतीक चिह्न और अन्य विनिर्दिष्टता किसी दैनिक राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय समाचारपत्र अथवा इलेक्ट्रॉनिक अथवा यथोचित किसी अन्य तरीके से प्रकाशित करेगा।

(ग) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसी को ईसी अधिनियम, 2001 की धारा 27 के तहत अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ न्यायिक कानूनी कार्रवाई करने की सूचना दें।

(6) उप-विनियम (5) में संदर्भित दो माह की अवधि समाप्त होने के दस दिनों के अंदर,-

- (क) ब्यूरो को दिशा-निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्रपत्र VII में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और
- (ख) यदि खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अथवा विनिर्धारित अवधि के अंदर निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त होती है, इसे जारी निर्देशों का गैर-अनुपालन माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इस आशय के आदेश क्या है? किस विनियम के तहत किया गया है आदि विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(7) ब्यूरो अधिनियम की धारा 17 के तहत कार्रवाई करने के प्रयोजनार्थ सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को विनियम-(6) के खण्ड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और खण्ड (ख) में जारी आदेशों की छाया प्रति, आवश्यक दस्तावेजों सहित भेजेगा और कथित उप-विनियम के खण्ड (ख) के तहत जारी आदेशों का प्रत्यावर्तन करेगा;

(8) जहां अनुज्ञाधारक, ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (5) के तहत जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को सूचना देते हुए -

- (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के तहत अनुज्ञाधारक को प्रदत्त अनुमति वापस ले लेगा;
- (ख) केन्द्रीय सरकार को अनुज्ञाधारक द्वारा ऊर्जा खपत अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक और ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (6) के खण्ड (क) द्वारा संदर्भित आदेशों का अनुपालन करने में विफलता के समर्थन में जांच रिपोर्ट के साथ, विचारार्थ और केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (ग) के तहत कार्रवाई करने हेतु रिपोर्ट भेजेगा।
- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो माह के अंदर, किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से जैसा उचित समझा जाए, अनुज्ञाधारक का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो और अन्य विनिर्देशन प्रकाशित करेगा।
- (घ) संबंधित राज्य नामोद्दिष्ट एजेंसियों को अधिनियम की धारा 27 के तहत अनुज्ञाधारक और व्यापारी के खिलाफ आगे अधिनिर्णय कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुमति निरस्त करना :- ब्यूरो विनियम 7 के तहत प्रदत्त अनुमति को निरस्त कर सकता है, यदि अनुज्ञाधारक -

- (क) विनियम 8 के तहत विनिर्दिष्ट किसी नियम और शर्त का पालन नहीं करता;
- (ख) विनियम 9 के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर लेबल शुल्क का भुगतान नहीं करता;
- (ग) विनियम 11 के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करता।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./232/2022-23]

प्रपत्र I – (क)

[विनियम 6 (2) देखें]

(कंपनी के लेटर हेड में प्रिंट किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

महा निदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर – 1, आर. के. पुरम,

नई दिल्ली – 110 066

भारत

मैं / हम _____ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _____ की शैली के अंतर्गत _____ (व्यापार का पूरा पता) व्यापार करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का/के विनिर्माता अथवा आयातक हूं / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर प्रदर्शित करने/लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन करता हूं/करते हैं।

उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, और भुगतान संबंधी विस्तृत विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। फर्म पंजीयक अथवा संस्थाओं / उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) संपर्क व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

ग) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूं/ देते हैं।

3. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, कथित उपकरण के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
..... से तक अंतिम वर्ष			
वर्तमान वर्ष..... से तक वर्ष (अनुमान)			

4. एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए का लेबल प्रतिभूति शुल्क, जैसा भी मामला हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान किया गया है (केवल लेबल प्रतिभूति शुल्क जमा करने के समय ही भरा जाना है)।

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने को सहमत हूं/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।

7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

दिनांकदिन(वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से.....

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अनुलग्नक

(प्रपत्र 1 – (क) का पैरा 2 देखें)

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
पंजीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक:	हां / नहीं
(क) निर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	
(ख) व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदि लागू हो	
(घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणपत्र	
(ड.) अधिकृत हस्ताक्षरी पत्र	
(च) भारतीय मानक लाइसेंस ब्यूरो, यदि लागू हो	
(छ) भुगतान के लिए भुगतान रसीद ऑनलाइन की जाती है	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में एक अलग तालिका प्रदान की जा सकती है)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ईमेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम के लिए और उनकी ओर से.....

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्रपत्र 1 - (ख)

[विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर लेबल चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

महा निदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066

भारत

मैं / हम _____ (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) _____ की शैली के अंतर्गत _____ (व्यापार का पूरा पता) व्यापार करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का/के विनिर्माता अथवा आयातक हूं / हैं जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर प्रदर्शित करने / लगाने की अनुमति पाने हेतु आवेदन करता हूं / करते हैं।

2. विनिर्माता सुविधा : उपरोक्त उपकरण _____ (कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित या आयातित है और _____ (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित है।

3. सूचना का विवरण : उपकरण, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान संबंधी विस्तृत विवरण अनुबंध में दिया गया है। फर्म पंजीयक अथवा संस्थाओं / उद्योग निदेशक (छोटे पैमाने की इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा अन्य सदृश दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न है जो फर्म का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों को अनुप्रमाणित करते हैं, संलग्न है।

क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/ फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने के लिए अधिकृत है और वह इस आवेदन के साथ मुहैया कराई गई सूचना की सटीकता एवं अधिप्रमाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।

ख) संपर्क व्यक्ति : _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

ग) मैं/हम उपरोक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देता हूँ/ देते हैं।

4. मानकों का अनुपालन : मैं/हम _____ (उपकरण का नाम) के लिए _____ (अधिसूचना का शीर्षक) के संबंध में अधिसूचना में यथा: विनिर्दिष्ट आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या) _____ के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली / अन्य मानकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो / अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हैं। संगठन और / अथवा उपरोक्त उपकरण के संबंध में लाइसेंस/प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न है।

मैंने / हमने, उपकरण की गुणवत्ता की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _____ अथवा एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला _____ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण हेतु व्यवस्था कर ली है।

स्वतंत्र प्रयोगशाला का ब्यौरा :

क) परीक्षण विवरण (परीक्षण की प्रक्रिया / नाम / संख्या)

ख) प्रत्यायन की स्थिति :

ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन :

5. मेरी/ हमारी जानकारी और अनुमान के अनुसार, कथित उपकरण के उत्पादन और बिक्री संबंधी आंकड़े और इनका मूल्य निम्नानुसार हैं :

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
..... से तक अंतिम वर्ष वर्तमान वर्ष..... से वर्ष तक (अनुमान)			

6. (क) इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा दो हजार रुपए के आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

(ख) एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए के लेबल प्रतिभूति शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा किया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट के लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग देने को सहमत हूँ/हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन के लिए नमूने का चयन करने और परीक्षण को चुनौती देने के लिए अधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने को सहमत हूँ/हैं।

9. मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन-पत्र को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

दिनांक दिन (वर्ष)

भवदीय

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

के लिए और उनकी ओर से.....

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

अनुलग्नक

[प्रपत्र I - (ख) का पैरा 3 देखें]

सूचना का विवरण

1. उत्पाद/ उपकरण का ब्यौरा

1.1 सामान्य

उपकरण
प्रकार (उदाहरण के लिए, प्राकृतिक रूप से ठंडा किया गया तेल भरा हुआ)
मॉडल का नाम / संख्या
निर्माता/आयातक का नाम
ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए
वोल्टेज
निर्माण का महीना और वर्ष
50 प्रतिशत लोडिंग वॉट पर कुल हानि
100 प्रतिशत वॉट पर कुल हानि

1.2 तकनीकी जानकारी

क्र. सं.	मॉडल का नाम/नंबर	मापे गए मान				घोषित मूल्य		
		लोड की कोई हानि नहीं (वॉट)	लोड की हानि (वॉट)	कुल हानियां		कुल हानियां		स्टार रेटिंग
				50 प्रतिशत की लोडिंग	100 प्रतिशत की लोडिंग	50 प्रतिशत की लोडिंग	100 प्रतिशत की लोडिंग	

2. कंपनी का ब्यौरा

कंपनी का नाम :	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

3. विनिर्माण परिसर के ब्यौरे

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	
अन्य कोई ब्यौरा	
अधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

4. जांच प्रयोगशाला के ब्यौरे

जांच प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की वैधता (समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	
प्रत्यायन का विस्तार	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई-मेल	
वेबसाइट	

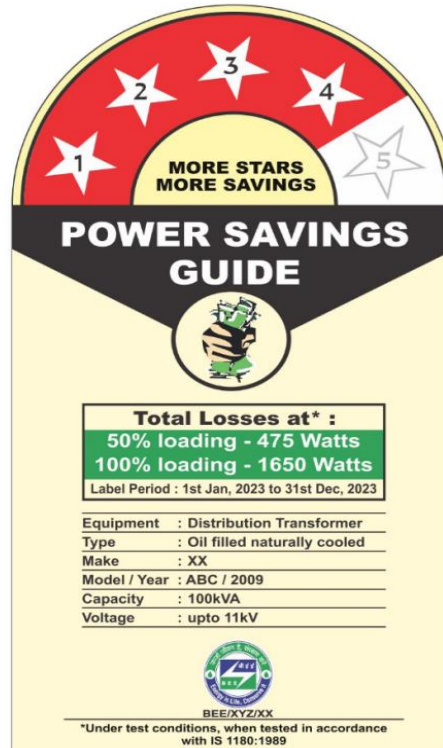
5. लेबलिंग सूचना

प्रारंभ होने की तिथि	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए आवेदन किए गए लेबलों की संख्या पहले वर्ष के लिए – दूसरे वर्ष के लिए – तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पादन श्रृंखला सं	सेतक.....

6. भुगतान का विवरण

	कुल राशि	भुगतान का ब्यौरा (इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का ब्यौरा)
आवेदन शुल्क		
प्रतिभूति जमा		

7. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है



तारीख.....

हस्ताक्षर.....

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्रपत्र II – (क)

[उप-विनियम 7 (1) (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के ब्रांड के पंजीकरण की अनुमति

नई दिल्ली, दिनांक

प्रति,

.....

- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 के अनुसरण में विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसरण में ब्यूरो एतद्वारा आपको इस पत्र के अनुलग्नक में निर्धारित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार अपने ब्रांड के पंजीकरण की अनुमति देता है।
- यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है —
 (क) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम के धारा के 14 खंड (क) और उपरोक्त नियमों में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के तहत अधिसूचित डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
 (ख) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल की मोहर लगाना जिसके लिए अनुमति दी गई है;
 (ग) अनुज्ञाधारक के खर्च पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर लेबल का मुद्रण और चिपकाना;
 (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
 (ङ.) ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करने वाला अनुज्ञाधारक;
 (च) अनुज्ञाधारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के अंदर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। वही ब्यूरो स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 (छ) अनुज्ञाधारक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के ऐसे अन्य विवरण ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है।
- अनुज्ञाधारक, ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना, वैधता अवधि के दौरान बाजार से पंजीकृत ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को वापस नहीं लेगा।
- ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट लेबल शृंखला कोड है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
-तारीख माह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक

[प्रपत्र II – (क) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	

फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

2. पंजीकृत ब्रांड का नाम :
3. विशिष्ट श्रृंखला कोड :
4. अन्य विवरण, यदि लागू हो तो :

तिथि :

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्रपत्र II (ख)

[उप-विनियम 7(1)(बी)]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति / अनुमति का नवीनीकरण

नई दिल्ली, दिनांक

प्रति,

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 के अनुसरण में विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसरण में ब्यूरो एतद्वारा आपको इस पत्र के अनुलग्नक में निर्धारित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार चिपकाने की अनुमति दी गई थी।

2. यह अनुमति निम्नलिखित के अधीन है —

- (क) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा के 14 खंड (क) और उपरोक्त विनियमों में प्रदान किए गए नियमों और शर्तों के तहत अधिसूचित डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए ऊर्जा खपत मानकों के अनुरूप होगा;
- (ख) लेबल केवल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के ऐसे मॉडल पर लगाया जाएगा जिसके लिए अनुमति दी गई है;
- (ग) लेबल, अनुज्ञाधारक के खर्च पर मुद्रित किया और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर चिपकाया जाएगा;
- (घ) अनुज्ञाधारक यह सुनिश्चित करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर प्रदर्शित स्टार स्तर हमेशा बना रहेगा;
- (ङ.) अनुज्ञाधारक प्रति लेबल सौ रुपए का शुल्क का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञाधारक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले माह के अंदर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपकरणों के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग शुल्क का विवरण होगा। वही ब्यूरो स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से ब्यूरो को भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
- (छ) अनुज्ञाधारक वितरण ट्रांसफार्मर के ऐसे अन्य विवरण ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है।

3. यह अनुमति सेतक मान्य होगी और निर्धारित विवरण के अनुसार इसका नवीकरण कराया जा सकता है। अनुज्ञा धारक बाजार से अनुमति की वैधता अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को वापस नहीं लेगा।
4. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा उपकरण के लिए दी गई विशेष लेबल श्रृंखला है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षाधीन स्टार स्तर योजना में आशोधन किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का स्टार स्तर निम्नानुसार आशोधित होगा : -
(क) यदि संशोधित स्टार स्तर के तुल्यकालिक रूप में नया मॉडल शुरू किया जाता है तो इसकी अनुमति हेतु ब्यूरो के पास उस तारीख से 6 माह अग्रिम में आवेदन किया जाए जिस तारीख से नए स्टार स्तर लागू होंगे;
(ख) जहां परिवर्तित स्टार स्तर लागू करने के लिए मौजूदा मॉडल को जारी रखा जाता है, ब्यूरो के पास घोषणा केवल प्रपत्र IV में प्रस्तुत की जाएगी।
6.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक

(प्रपत्र 2 का पैरा 1 देखें)

अनुमोदन का ब्यौरा

1. उपकरण का ब्यौरा

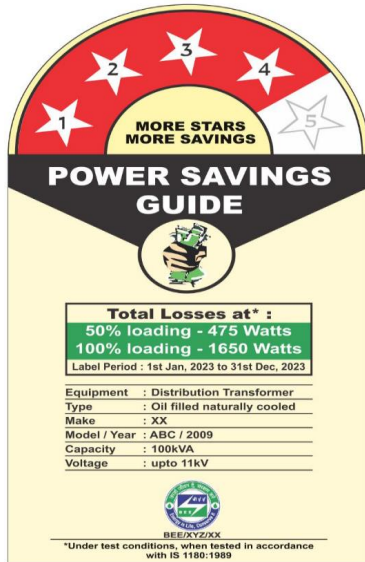
उपकरण	
प्रकार (उदाहरण के लिए, तेल भरे हुए, प्राकृतिक रूप से ठंडा किए गए)	
मॉडल का नाम / संख्या	
निर्माता/आयातक का नाम	
ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए	
वोल्टेज	
निर्माण का महीना और वर्ष	
50 प्रतिशत लोडिंग वॉट पर कुल हानियां	
100 प्रतिशत वॉट पर कुल हानियां	

क्र. सं.	मॉडल का नाम/नंबर	मापे गए मान				घोषित मूल्य		
		लोड की कोई हानि नहीं (वॉट)	भार की हानि (वॉट)	कुल हानियां		कुल हानियां		स्टार रेटिंग
				50 प्रतिशत की लोडिंग	100 प्रतिशत की लोडिंग	50 प्रतिशत की लोडिंग	100 प्रतिशत की लोडिंग	

2. लेबल का ब्यौरा

उपकरण	
प्रकार	
निर्माता / आयातक / ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम / संख्या	
विनिर्माण का वर्ष	
ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए	
वोल्टेज	
स्टार लेवल	
लेबल की अवधि	
50 प्रतिशत लोडिंग वॉट पर कुल हानि	
100 प्रतिशत वॉट पर कुल हानि	
विशिष्ट श्रृंखला कोड	

3. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर लगाया जाने वाला ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना, जो नीचे दर्शाया गया है :



पत्र में दी गई विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर पर लगाए गए लेबल में किया जाता है।

4. लेबल के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिजाइन, आकार, रंग योजना, सामग्री और अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ब्यूरो के लोगो में लेबल और रंग योजना का उल्लेख किया जाएगा।

तिथि

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्रपत्र III

[विनियम 7 के उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अनुज्ञाधारकों के रजिस्टर

(टेम्प्लेट)

क्र. सं.	आवेदन सं. और अनुमति की तिथि	अनुज्ञाधारकों का नाम और विवरण (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन सं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उपकरण के विवरण जिनकी अनुमति प्रदान की गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर की	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुमति संख्या और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	अवधि जिसमें अनुमति प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल प्रतिभूति शुल्क की राशि	इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (विवरण) : (तिथि:) से प्राप्त लेबल प्रतिभूति शुल्क	प्राप्त आवेदन शुल्क का मूल्य	इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (विवरण) : (तिथि:) से प्राप्त आवेदन शुल्क की राशि के विवरण
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए देय शुल्क के लेबलिंग की राशि	प्रत्येक वित्तीय वर्ष (इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन (विवरण) : तिथि:) के लिए प्राप्त विवरण के लेबलिंग शुल्क	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्रपत्र IV

[विनियम 7 के उप-विनियम (7) देखें]

अनुज्ञाधारक द्वारा मौजूदा मॉडल पर लेबल चिपकाने को जारी रखने की मांग करते हुए

घोषणा

(प्रत्येक भिन्न मॉडल के लिए, संबंधित अनुबंध सहित एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय / अनुज्ञाधारक के लेटर हैड पर)

दिनांक :

सेवा में,

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर – 1, आर. के. पुरम,

नई दिल्ली – 110 066

भारत

विषय : से प्रभावी स्टार स्तर में परिवर्तन के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) के जरिए लेबल लगाने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र

1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली में [कंपनी का नाम, पूरे पते सहित] में व्यापार करने वाला/वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का/के विनिर्माता/ आयातक हूं/ हैं और एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर विवरण और उनके प्रदर्शन की प्रविधि) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूं/करते हैं, जिसमें..... से स्टार स्तर में संशोधन होगा।
2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित है और इसका (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्माण किया गया है अथवा (आयातक का नाम और पता) से आयात किया गया है।
3. नए स्टार लेबल के लिए अनुरूपता : मैं/हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए अधिसूचना का. आ. सं. दिनांक को स्वीकार करते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुमोदन की प्रति (जिसे पूर्व में अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।
4. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के परिशोधन के अनुसार) की प्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल का ब्यौरा

मॉडल का नाम –

विवरण	घोषित मान	
ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए		
वोल्टेज		
50 प्रतिशत लोडिंग बॉट पर कुल हानि	--	
100 प्रतिशत बॉट पर कुल हानि	--	
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार लेबल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेबल के अनुसार)

6. मैं/हम, स्टार स्तर को (मौजूदा स्टार लेबल स्तर) को (संशोधित स्टार लेबल स्तर) में मैनुअल आवेदन तथा ऑनलाइन वेब पोर्टल में बदलने के लिए सहमत हैं।
7. मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मॉडल के लिए अभी तक तिमाही उत्पादन आंकड़े और लेबलिंग शुल्क जमा करा दिया है।
8. मैं/हम, ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और यदि ब्यूरो द्वारा कोई पूछताछ की जाती है, उसे आवश्यक सहायता/ सहयोग देने को सहमत हूं/हैं।
9. मैं/हम, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और जांच को चुनौती देने के लिए नमूने का चयन करने का अधिकार प्रदान करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के दिशा-निर्देशों का पालन करने को सहमत हैं।
10. मैं/हम यह वचन देता हूं/ देते हैं कि इस आवेदन – पत्र में दी गई सूचना मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार सही है और यदि इसमें दी गई कोई सूचना गलत पाई जाती है, आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जा सकता है।

दिनांक : दिन (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्रपत्र V

(विनियम 11(3) देखें)

अनुज्ञाधारक को चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण देखने के लिए सूचना

नई दिल्ली, तिथि

सेवा में,

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के अनुसरण में विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के दिनांकके पत्रांक..... के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के विनियम 11 के तहत दिनांक..... कोरुपए की कीमत पर दिनांक की इनवॉयस संख्या स्वतः संज्ञान से परीक्षण या चुनौती परीक्षण के उद्देश्य से ___ द्वारा आपके अधिकृत वितरक/डीलर/खुदरा व्यापारी से बीईई स्टार के लेबल वाला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को खरीदा गया था। उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 के तहत लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी मैसर्स द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा उपरोक्त खरीदे गए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर चिपकाए गए थे। नमूना मैसर्स द्वारा क्रम सं.सहित मैसर्स (वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से विधिवत सत्यापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के साथ विधिवत मुहरबंद किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी उल्लिखित सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूना मैसर्स....., राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशान्कन बोर्ड (एनएबीएल) प्रत्यायित प्रयोगशाला को अधिसूचना संख्या का. आ. सं..... दिनांक के पैराग्राफ 3, 4 और 5 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, अधिसूचना संख्या का. आ. सं..... के अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र..... के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।

4. उत्पाद का विवरण और स्वतः संज्ञान परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, ब्यूरो परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त(तारीख) को(प्रयोगशाला का नाम) पर स्वतः संज्ञान परीक्षण/चुनौती परीक्षण (जैसा लागू हो) आयोजित कर रहा है।

5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार, ब्यूरो एतद्वारा सूचित करता है -

(i) नामित अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का संकेत (मूल रूप में) एक प्राधिकरण पत्र के साथ निर्दिष्ट उपरोक्त तिथि पर चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण को देखने के लिए एक अधिकारी को नामित करें (पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर और कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाई जाएगी)।

(ii) इस पत्र के जारी होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्ययों के लिए उक्त लागत

जमा करें, जैसा कि अनुलग्नक में उल्लेख किया गया है (खर्च इलेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से जमा किया जाएगा)।

6. आप ध्यान दें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपर्युक्त खर्च समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को निर्दिष्ट के रूप में नामित नहीं किया गया है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई करेंगे।

7.तारीखमाह..... वर्ष को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और दिनांकित

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. उत्पाद का विवरण / स्वतः संज्ञान परीक्षण के परिणाम
2. अनुलग्नक V (क)
3. व्यय से संबंधित चालान

अनुलग्नक

[फॉर्म V का पैरा 5 देखें]

सूचना का विवरण

1. चुनौती परीक्षण / दूसरे परीक्षण के लिए उठाए गए उत्पाद या उपकरण विवरण

ब्रांड का नाम :	
विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड :	
मॉडल का नाम/मॉडल नंबर :	
कक्ष डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का प्रकार :	
ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए :	
वोल्टेज :	
निर्माण का वर्ष :	
50% लोडिंग वॉट पर कुल हानि :	
100% वॉट पर कुल हानि :	
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर :	

2. ब्यूरो के पास जमा की जाने वाली राशि :

विवरण	संख्या/व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
प्रति नमूना लागत	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण शुल्क	
यातायात भुगतान (यदि लागू हो)	

अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञाधारक द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि	

3. स्वतः संज्ञान परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) :

ब्रांड	मॉडल	50 प्रतिशत लोडिंग पर रेटिड कुल हानि	100 प्रतिशत लोडिंग पर रेटिड कुल हानि	ट्रांसफार्मर क्षमता केवीए	स्टार रेटिंग (घोषित)	स्टार रेटिंग (परीक्षण की जांच)	टिप्पणियां

तारीख

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्रपत्र V

(विनियम 11 के उप-विनियम (5) देखें)

दूसरे जांच परीक्षण की विफलता पर अनुमति के लिए दिशा-निर्देश

नई दिल्ली, तारीख

सेवा में,

.....

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के अनुसरण में विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसरण में आपको इसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों का अनुपालन करने की शर्त पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के दिनांकके पत्रांक..... के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के विनियम के तहत दिनांक..... कोरुपए की कीमत पर दिनांक की इनवॉयस संख्या के जरिए आपके अधिकृत वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी से बीईई स्टार के लेबल वाला डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को खरीदा गया था और इसको विनियम 3 के तहत आपके द्वारा खरीदे गए उपरोक्त कथित डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी, मैसर्स द्वारा एक नमूने के तौर पर उठाया गया था। नमूना मैसर्स द्वारा क्रम सं.सहित मैसर्स (वितरक, डीलर, खुदरा व्यापारी का नाम) से विधिवत सत्यापन एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के साथ विधिवत मुहरबंद किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपनी उल्लिखित सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूना मैसर्स....., राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला को का. आ. सं..... दिनांक के पैराग्राफ 4 और 5 में दी गई जांच प्रक्रिया के अनुसार, का. आ. सं..... दिनांक के अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र..... के अनुसार जांच रिपोर्ट देने के लिए जांच करने के लिए भेजा था।

4. विशेष पहचान श्रृंखला संख्या वाले नमूने की जांच रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम दर्शाते हैं कि नमूने वाले डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 50% लोडिंग पर कुल हानियों पर प्रकार परीक्षण और 100% पर कुल हानि आदि को पूरा करने में विफल रहे और यह आपके द्वारा विनिर्मित / आयातित डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के संबंध में लेबल चिपकाने के लिए मांगी गई अनुमति के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र 1 में आपके द्वारा मुहैया कराए गए जांच के ब्यौरे की पुष्टि नहीं करते। बीईई के दिनांक के पत्रांक के जरिए जांच के परिणाम आपके अधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम में आपको भेज दिए गए थे। आपसे अनुरोध किया जाता था कि राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड (एनएबीएल) प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में हिस्सा लें।

5. हमारी अधिकृत एजेंसी मैसर्स के जरिए दिनांक दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने उठाकर हमारी अधिकृत एजेंसी मैसर्स..... द्वारा विधिवत मुहरबंद कर राष्ट्रीय प्रत्यायन परीक्षण और अंशांकन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला में भेजे गए थे और सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षराधीन से प्राप्त कथित नमूनों पर उत्कीर्ण विशेष पहचान श्रृंखला संख्या दी गई थी।

6. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम अधिकृत कार्मिक द्वारा जांच की गई है और जिनके संबंध में प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे जांच परीक्षण के साक्ष्य के तौर पर आपके हस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी विधिवत हस्ताक्षर किए गए हैं।

जांच परिणामों से पुष्टि होती है कि ये का. आ. संख्यांक दिनांक में दिए गए अपेक्षित मानदण्डों और मानकों और आपको बाजार में विनिर्मित / आयातित एवं बिक्री किए गए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लगे लेबल पर दिए गए विवरण को दर्शाने के लिए आपको दी गई अनुमति के निबंधनों और शर्तों को पूरा नहीं करते।

7. अब, इसलिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो एतद्वारा निर्देश देता है :-

- (i) डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करना या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करना;
- (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; तथा
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदलना।

8. आपको एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि इस पत्र के जारी किए जाने की तारीख से दो माह के भीतर उल्लिखित सुधारात्मक कार्रवाई पूरी करें और दो माह की समाप्ति के बाद 10 दिन के अंदर अर्थात् तक प्रपत्र VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजें। यदि उक्त तिथि तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन के विवरण और प्रविधि) के विनियम 11 के उप-विनियम (6) के खंड (ख) के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।

9. ब्यूरो द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के विनियम 11 के विनियम (5) (6) (7) और (8) के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्रपत्र VI

(विनियम 11 का उप विनियमन (6) देखें)

की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट

(संगठन के लैटर हैड पर प्रस्तुत किया जाए)

सेवा में,

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर. के. पुरम

नई दिल्ली - 110 066, भारत

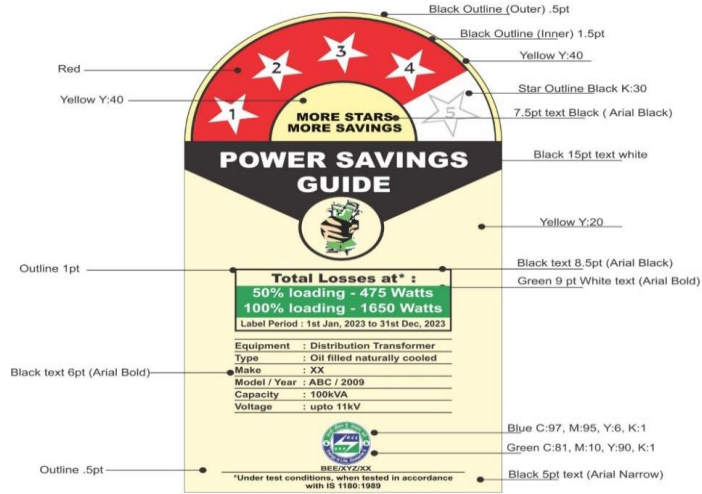
तारीख

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, हमें मे. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के विनिर्माता को ऊर्जा की खपत मानक के अनुरूप पत्र सं..... दिनांक के लिए मॉडल संख्या द्वारा स्टार लेबल के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और प्रविधि) विनियम, 2022 के विनियमन 11 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार, हम आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए पत्र संख्या दिनांक..... द्वारा निर्देश दिया गया। निर्देश के आलोक में, हम इसके द्वारा घोषित करते हैं कि हमारी ओर से निम्न गतिविधियों को किया गया है।

कार्रवाई का निर्देश	स्थिति	की गई कार्रवाई
---------------------	--------	----------------

(ii) ब्यूरो के लोगो के लिए निम्नलिखित रंग योजना, अर्थात् :-



नीला -

ह्यू (H)-239° सेचुरेशन (S) : 64% ब्राइटनेस (B):59%

ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L) : 28, क्रोमेटिक पुर्जे -a:24 b:54

लाल (R) : 54 हरा (G) : 55 नीला (B):151

सियान (C):97% मैजेंटा (M):95% पीला (Y):6% काला (K):1%

वेब कलर कोड - #363797

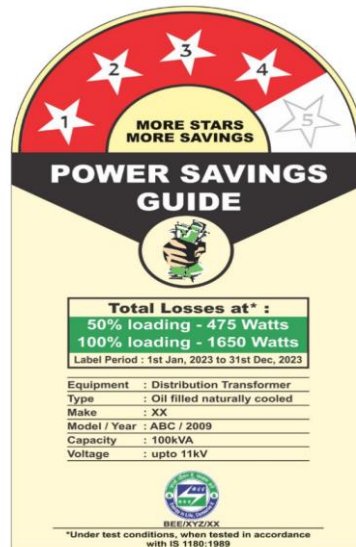
हरा -

ह्यू (H)-150° सेचुरेशन (S):10% ब्राइटनेस (B):67% ल्यूमिनेंस या लाइटनेस (L): 61,

क्रोमेटिक पुर्जे -a:-53 b:32 लाल (R):0 हरा (G):170 नीला (B):87

सियान (C):81% मैजेंटा (M):10% पीला (Y):90% काला (K):1% वेब कलर कोड - #00AA56;

(iii) वितरण ट्रांसफॉर्मर पर निम्नलिखित लेबल लगाना होगा :



(2) लेबल की सामग्री

यदि लेबल स्विंग टैग के रूप में जोड़ा जाना है तो इसे टिकाऊ कार्डबोर्ड का होना चाहिए या स्वयं चिपकने वाला होना चाहिए और लेबल की डिजाइन और आयाम इन विनियमों में बताए गए नमूना लेबल में से एक प्रकार के हो सकते हैं।

अभय बाकरे, महानिदेशक

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2022

No. BEE/S&L/DT/01/22-23.- In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency (the Bureau) with the previous approval of the Central Government, proposes to amend the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulation 2009, the proposed draft amendments are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General, Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, North Wing, Sector-1, R.K.Puram, New Delhi-110066 and may also be sent at the e-mail of the Bureau at dg-bee@nic.in;

Objections or suggestions which may be received from the persons with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above, shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer), Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition:-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
- (b) “Distribution Transformer” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (c) “Form” means a form appended to these regulations;
- (d) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, distribution transformer;
- (e) “label period” means the validity period of the relative energy efficiencies or loss standards which is the total losses at 50% and 100% loading of the distribution transformer notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the relative energy efficiencies or loss standards is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;
- (f) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) “star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the Distribution Transformer based on the total losses at 50% and 100% loading of Distribution Transformer notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the relative energy efficiencies or loss standards which is the total losses at 50% and 100% loading of the distribution transformer;
- (h) “trader or seller” in relation to any labelled Distribution Transformer means a person who sells or distributes any such Distribution Transformer and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such Distribution Transformer.
- (i) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Particulars to be displayed on label. -** (1) On every Distribution Transformer, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

- (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
- (b) Equipment;
- (c) Type;
- (d) Make/ Manufacturer/Importer;

- (e) Model/ Manufacturing Year;
- (f) Transformer Capacity in kVA;
- (g) Voltage in kV;
- (h) Total losses at 50% loading in watts;
- (i) Total losses at 100% loading in watts;
- (j) Unique label series code;
- (k) star level; and
- (l) label period.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels: - (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every Distribution Transformer within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-

- (a) shall not produce the Distribution Transformer with the previous energy consumption standards;
- (b) the Distribution Transformer shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the Distribution Transformer in synchronization with revised energy consumption standards;
- (c) All preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.

5. Manner of display of label.-

(1) On every Distribution Transformer, the label shall be stamped as follows, namely:—

(i) The label shall be affixed at the front display of the unit and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model on display for identification purpose, at point of sale or hire and the label shall also be printed or pasted to the exterior to the casing containing the unit or model.

(ii) For units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior to the casing and this label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label. - (1) No star label shall be affixed on a Distribution Transformer without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I – (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) Model registration.- Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

- (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
- (b) documents specified in Form I – (B).

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –

- (a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and
- (b) grant permission for affixing label on Distribution Transformer in Form II-(B) in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

In case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the Distribution Transformer from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the Distribution Transformer is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-

- (a) the star level displayed on the label of Distribution Transformer shall conform to energy consumption standards for Distribution Transformer notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) the label shall be affixed only on such model of Distribution Transformer for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the Distribution Transformer at the cost of permittee;
- (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of Distribution Transformer shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
- (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.

9. Label fee.- (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of hundred rupees for each label affixed on the distribution transformer.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten percent per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

10. Refund of label security fee.- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture distribution transformer.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the Distribution Transformer conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit and shall be subjected to (a) Measurement of winding resistance test (b) Measurement of Impedance voltage or short circuit impedance and load loss (c) Measurement of No-load loss and current test (d) temperature rise test and (e) short circuit test.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the Distribution Transformer in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee in form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where samples of Distribution Transformer used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be offer another opportunity and the Bureau shall conduct second test with twice the quantity of Distribution Transformer used in the first test in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee. The Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.

(5) Where the second test fails, the Bureau shall,-

(a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

(i) correct the star level displayed on the label of the Distribution Transformer or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;

(c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),-

(a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

- (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months;
- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission.- The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee –

- (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
- (c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./232/2022-23]

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of distribution transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of distribution transformer carrying out business at..... (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on distribution transformer as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Distribution Transformer) Regulations, 2022.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above

3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from.....to.....			
Current year from.....to (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of(Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

Name of the firm) / SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	Yes/No
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) payment receipt for payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	

E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

Name of the firm) / SEAL OF FIRM

FORM I- (B)**[See regulation 6]****Application for permission to affix label on Distribution Transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022**

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector – 1, R.K.Puram

New Delhi-110 066

India.

I/ We are the manufacturers or importers of Distribution Transformer carrying out business at _____ (full business address) under the style of _____ (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Distribution Transformer as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of Label on Distribution Transformer) Regulations, 2022.

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/authorized person: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the notification on _____ (title of the notification) for the _____ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory _____ or at NABL accredited laboratory _____ (Name and address of the laboratory) for ensuring consistency in quality of the equipment.

Independent Laboratory details:

- Test details (test procedure/ name/number)
- Accreditation status:

c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from ____ to ____ (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees paid by electronic mode.

(b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupees _____ has been paid by electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labeling fee as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith

Dated thisday of (Year)

Yours Faithfully,

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 3 of Form 1(B)]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General

Equipment
Type (for example, oil filled naturally cooled,)
Model Name / Number
Name of the manufacturer/Importer
Transformer Capacity kVA
Voltage
Month and Year of manufacturing
Total losses at 50% loading watts
Total losses at 100% watts

1.2 Technical details

SL. No.	Model Name/ No.	Measured values				Rated values		
		No Load Loss (watts)	Load Loss (watt)	Total Losses		Total Losses		Star Rating
				50% loading	100% loading	50% loading	100% loading	

2. Details of the company

Name of the company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Name of the Authorized representative	

3. Details of the manufacturing premise

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	
Name of the Authorized representative	

4. Details of test laboratory

Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Scope of Accreditation	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	

Fax No.	
E-Mail	
Web site	

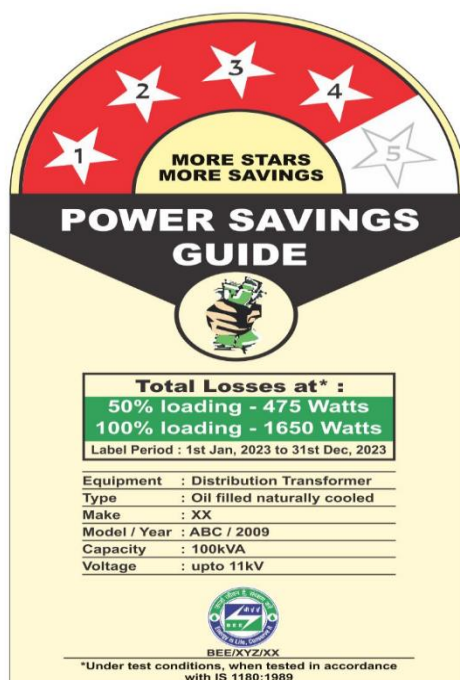
5. Labeling information

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

6. Payment details

	Total Amount	Details of Payment (electronic payment details)
Application Fee		
Security Deposit		

7. Specimen of the label to be affixed on the distribution transformer is shown below:



Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

.....

(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

FORM II – (A)**[See regulation 7 (1) (a)]****Permission for registration of brand of distribution transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022**

New Delhi, dated.....

To

.....

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the distribution transformer shall conform to energy consumption standards for distribution transformer notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model of distribution transformer for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixture of the label on the distribution transformer at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the distribution transformer shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee making available such other details of distribution transformer as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the distribution transformer from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth year.

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure**[See para 1 of Form II-(A)]****Details of Approvals****1. Details of the company**

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:**3. Unique series code:****4. Other details if applicable:**

Date:

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II (B)**[Sub-regulation 7(1)(b)]**

Permission / Renewal of Permission to affix label on Distribution Transformer under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022

New Delhi, dated the.....

To

.....

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their display on Label of Distribution Transformer**) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.

2. This permission is subject to—

- (a) the star level displayed on the label of the Distribution Transformer shall conform to energy consumption standards for Distribution Transformer notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
- (b) the label shall be affixed only on such model of Distribution Transformer for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the Distribution Transformer at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Distribution Transformer shall be maintained at all time;

- (e) the permittee shall pay the label fee of hundred rupees per label;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;
- (g) the permittee shall make available such other details of Distribution Transformer as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid for from toand may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Distribution Transformer from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is.....and should appear on the label as per the approved design.
5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the Distribution Transformer shall stand modified as follows:-
- (a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
- (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.
6. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure**[See para 1 of Form II]**

Details of Approvals

1. Details of the Equipment

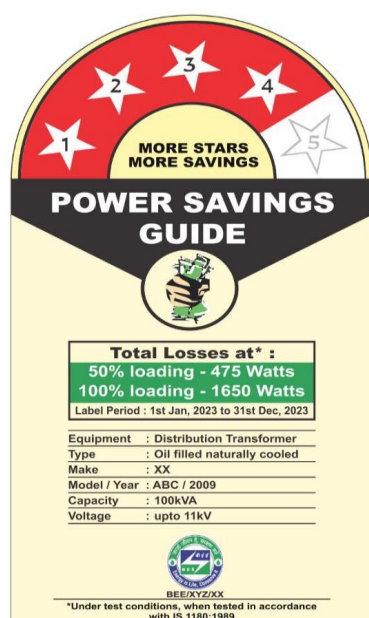
Equipment
Type (for example, oil filled naturally cooled,)
Model Name / Number
Name of the manufacturer/Importer
Transformer Capacity kVA
Voltage
Month and Year of manufacturing
Total losses at 50% loading watts
Total losses at 100% watts

SL. No.	Model Name/ No.	Measured values				Rated values		
		No Load Loss (watts)	Load Loss (watt)	Total Losses		Total Losses		Star Rating
				50% loading	100% loading	50% loading	100% loading	

2. Label Details

Equipment	
Type	
Name of the make/manufacturer/importer	
Model Name/Number	
Year of manufacturing	
Transformer Capacity kVA	
Volatge	
Star level	
Label period	
Total losses at 50% loading watts	
Total losses at 100% watts	
Unique Series Code	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the distribution transformer is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Distribution Transformer.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by (Electronic transaction (Details): (Date:))	Amount of Application Fees received	Details of Application Fee Amount received (Electronic transaction (Details): (Date:))
(8)	(9)	(10)	(11)

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	Labeling fee details received for each financial year (Electronic transaction Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of Corporate body/Permittee)

Date:**To****THE DIRECTOR GENERAL****BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY****(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)****4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,****SECTOR 1, R.K.PURAM,****NEW DELHI-110 066****INDIA.****Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022 on revision of star level effective from**

1. I/ We are the manufacturers / importers of Distribution Transformer carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Distribution Transformer as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency

(Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022 which would go for revision of star level with effect from

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)

3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number.dated..... for Distribution Transformer. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the Distribution Transformer is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Transformer Capacity kVA		
Voltage		
Total losses at 50% loading watts	--	
Total losses at 100% watts	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Distribution Transformer model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date: _____

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To

New Delhi, dated the.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the Distribution Transformer vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Distribution Transformer from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample dated by ___ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s , an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased distribution transformer. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.----- a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated..... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations 2022, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer Regulations 2022, the Bureau hereby intimates to -

(i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations 2022.

7. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth.....year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Details of product/ *suo motu* test results
 2. Annexure V(a)
- Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:
Unique label series code:
Model name/Model number:
Type of room Distribution Transformer:
Transformer Capacity kVA:
Voltage :
Year of manufacturing:
Total losses at 50% loading watts:
Total losses at 100% watts:
Star rating or star level:

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Brand	Model	Rated total losses at 50% loading	Rated total losses at 100 % loading	Transformer capacity KVA	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Date:.....

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM V

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer**) Regulations, 2022, you were permitted to affix label on the Distribution Transformer vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Distribution Transformer from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Distribution Transformer. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O.numberdated the for giving Test Report in accordance with the Formgiven in Annexure to S.O.. number..... dated the

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled Distribution Transformer failed to meet the type test at total losses at 50% loading and total loss at 100% etc. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the Distribution Transformer manufactured/imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No...dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5.The Sample for second check verification Test were picked up dated the through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Distribution Transformer manufactured/imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022, the Bureau hereby directs to :-

- (i) correct the star level displayed on the label of the Distribution Transformer or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within 10 days after the expiry of two months i.e. by .In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of

sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022.

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency(Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformer) Regulations, 2022.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VI

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To
THE SECRETARY,
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Dated.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022, we M/s.....the manufacturer of Distribution Transformer were permitted to affix label on the Distribution Transformer conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Distribution Transformer) Regulations, 2022, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau of Energy Efficiency, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Distribution Transformer to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....
Name.....
Designation.....
For and on behalf of.....
Name of the Company/Firm etc
Seal of the Firm/Company”

SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

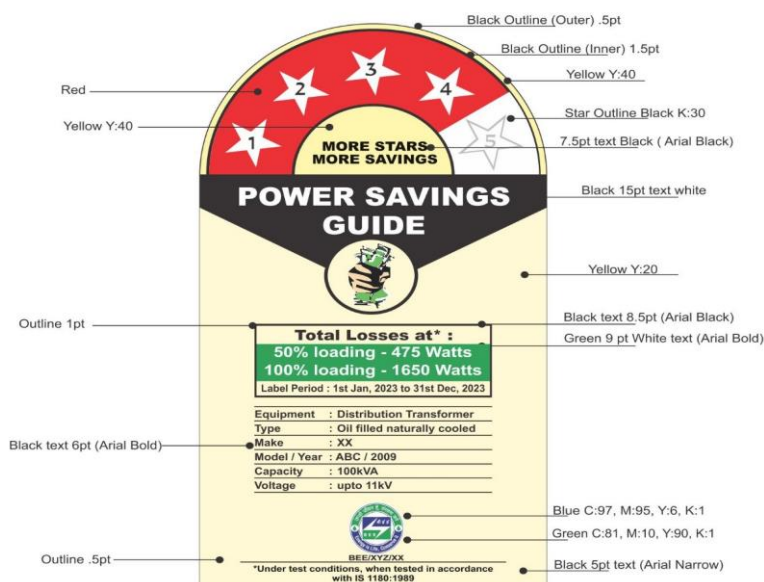
Particulars to be displayed on labels of Distribution Transformer.

(a) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include:-

(i) the following dimensional design of label, namely:—



(ii) the following colour scheme for the label, namely:—

**BLUE –**

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

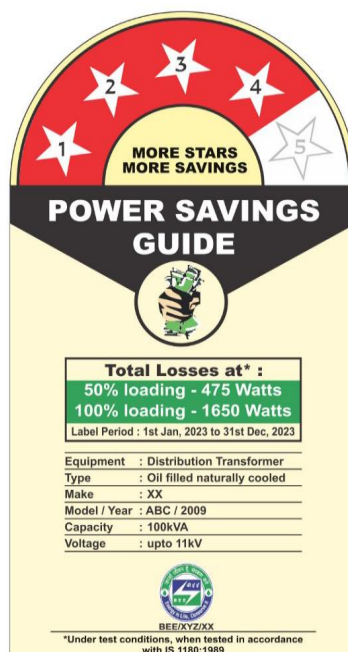
Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61, chromatic components - a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code - #00AA56;

(iii) following label to be affixed on distribution transformer:-



(2) **Label Material**

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label”